


| | | |
|--------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हरीशचन्द्र बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं० 237/2023 (ऑनलाईन नं० 353478342263202)</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>09.11.23</p> | <p>अपीलार्थी हरीशचन्द्र सिंघल, निवासी 94, बलदेवनगर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.06.2023. में उसके द्वारा (1) दिनांक 21.08.23 को कोषाधिकारी जोधपुर के पत्र दिनांक 04.08.23 की सलाह है कि पीडी खाते में पड़े मेरे पीएफ के 19 सितम्बर तक के बकाया 11,21,665/- रूपये को अदालत में जमा करने में असमर्थ है क्योंकि इस राशि को जमा/भुगतान करने की प्रणाली पूरी प्रक्रिया लॉनलाईन है और कोई मैनुअल नहीं है, इस बाबत ऐसे अदालती आदेश का अनुपालना करने या ट्रस्टी द्वारा पीएफ बकाया जारी नहीं करने की स्थिति में मेरे जैसे वरिष्ठ नागरिकों को पीएफ बकाया वापिस करने क लिए ट्रेजर स्तर पर मैनुअल प्रणाली को सक्षम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1117 दिनांक 18.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर कोषाधिकारी शहर जोधपुर से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी शहर जोधपुर) को कार्यालय के पत्रांक 1032 दिनांक 22.08.23 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को भी दी गई। चूंकि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी शहर जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी शहर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p> | |